कार्यालय मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 2380 /11–सी–FP/UP/Road/144793/2021, लखनऊ, दिनांकः फरवरी 11 ,2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

विषयः– उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनपद–अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायु में प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहांपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 121.4716 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/295/2021/एफ0सी0/643, दिनांक 17.01.2022, इस कार्यालय का पृष्ठांकन सं0–2142/11–सी–FP/UP/Road/144793/2021, दिनांक 18.01.2022 एवं आपका पत्रांक–3339/14–10–4, दिनांक 09.02.2022

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का निराकरण आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 09.02.2022 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। इन आपत्तियों में अनेक आपत्तियॉ पर कार्यवाही यूपीडा के स्तर पर की जानी थी। यूपीडा के पत्रांक–8689/1832/यूपीडा/20(वन), दिनांक 31.01.2022 द्वारा इन पर अपेक्षित कार्यवाही करते हुए निराकरण समस्त सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों को प्रेषित किया है जिसे आपको संलग्न कर प्रेषित किया गया है, जिसके परीक्षणोपरान्त निम्न कमियों/अभिलेखों का अभाव पाया गयाः–

1. भारत सरकार की आपत्ति सं0–01 का पूर्ण निराकरण नहीं किया गया है।
2. भारत सरकार की आपत्ति सं0–04 के निराकरण के क्रम में रेलवे विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है केवल वचनबद्धता ही दी गयी है, जोकि पर्याप्त नहीं है। अतः रेलवे विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें।
3. भारत सरकार की आपत्ति सं0–06 के निराकरण के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक–2352/11–सी–FP/UP/Road/144793/2021, दिनांक 10.02.2022 के अनुसार कार्यवाही करें।
4. भारत सरकार की आपत्ति सं0–08 के निराकरण के क्रम में दुगने अवनत वनभूमि का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है किन्तु क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न कर प्रेषित नहीं किया गया है। अतः प्रेषित करें।
5. भारत सरकार की आपत्ति सं0–13 के निराकरण के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। अतः उस प्रमाण पत्र का संज्ञान लेते हुये भारत सरकार से समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल (गैर वनभूमि एवं अवनत वनभूमि) वृक्षारोपण के लिए पर्याप्त है तथा इस आशय का प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। यदि वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल पर्याप्त नहीं है तो उस दशा में अतिरिक्त अवनत वनभूमि का चयन कराते हुये इससे सम्बन्धित प्राक्कलन, Geo Referenced Digital Map, Sol Toposheet, kml file सीडी सहित एवं उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न करें।
6. भारत सरकार की आपत्ति सं0–14 के निराकरण के क्रम में संलग्न किये गये Geo Referenced Digital Map पर सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
7. भारत सरकार की आपत्ति सं0–16 के निराकरण के क्रम में संलग्न किये गये Geo Referenced cadastral Map पर सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
8. भारत सरकार की आपत्ति सं0–18 के निराकरण के क्रम में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा संलग्न किया गया Component wise Breakup में कुल क्षेत्रफल 215.41 हे0 दर्शाया गया है, जिसमें कितनी वनभूमि एवं कितनी गैर वनभूमि प्रभावित हो रही है, का उल्लेख नहीं है। अतः ऑनलाइन पार्ट–1 के क्रमांक B-2.4 में Component wise Breakup फीड कर संशोधित ऑनलाइन पार्ट 1 संलग्न करें।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त **भारत सरकार द्वारा की गयी आपत्तियों का समेकित बिन्दुवार निराकरण (पूर्ण संलग्नकों सहित) आपके द्वारा प्रेषित नही किया गया है।**

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा की गयी आपत्तियों के समस्त बिन्दुओं का पूर्ण बिन्दुवार (Tabular Form में) समेकित निराकरण एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख संस्तुति सहित तीन प्रतियों में इस कार्यालय को शीध्र प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे कि आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही की सके।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 2380 /11–सी–FP/UP/Road/144793/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, झांसी/दक्षिणी क्षेत्र, प्रयागराज/रूहेलखण्ड जोन, बरेली/पश्चिमी क्षेत्र, मेरठ।
2. वन संरक्षक, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा एवं प्रयागराज।
3. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, चित्रकूट, हापुड़, अमरोहा, सम्भल, बदायु, शाहजहॉपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली एवं प्रतापगढ।
4. श्री अतुल अस्थाना, वरिष्ठ प्रबन्धक (वन) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया सम्बन्धित समस्त मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी से समन्वय स्थापित कर भारत सरकार की आपत्तियों के समस्त बिन्दुओं का पूर्ण बिन्दुवार (Tabular Form में) समेकित निराकरण कराते हुये उससे सम्बन्धित समस्त अभिलेख तीन प्रतियों में मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 2380 /11–सी–FP/UP/Road/144793/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0, एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।